योजना के लिए आवेदन कैसे करें

निदेशालय मत्स्य, बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ की जानकारी किसान स्वयं ही अपने मोबाइल फोन या कम्प्युटर के माध्यम से ले सकते हैं। इसके लिए उन्हे निदेशालय मत्स्य की आधिकारिक वैबसाइट (https://fisheries.bihar.gov.in) पर जाना होगा। वैबसाइट पर जाने के बाद किसानों को पंजीकरण के लिंक को ओपेन कर के जो आवेदन पत्र खुलेगा उसे भरना होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस भी कॉलम के साथ ' मार्क लगा होगा वो जानकारी भरना जरूरी है बिना उसके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। आवेदन फार्म के अंत मे किसान से उसका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद किसान को ओटीपी भेजें विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद किसान के उस मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या और पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से आयेगा जिसे बाद मे लॉग इन के लिए प्रयोग मे लाया जाएगा।

जब किसान लॉग इन कर लेंगे तो उनके सामने बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न मात्स्यिकी संबन्धित योजनाए आ जाएंगी। किसान जिस भी योजना के लिए आवेदन करना चाहते है उस योजना पर क्लिक करना होगा जिसके बाद एक दूसरा पेज खुलेगा जिसमे उस योजना से संबन्धित जानकारी दी होगी साथ ही उस योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे इस की भी जानकारी दी होती है। सभी जानकारियों को भरने के बाद भरे हुये फॉर्म का प्रिंट ले के किसान को उसके जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा। तब उसका आवेदन पूर्ण माना जाएगा।

उपर्युक्त चरणों का पालन करते हुये किसान मात्स्यिकी संबन्धित चलाई जा रही योजनाओ के लिए आवेदन कर सकते है।

आलेख

डॉ नरेंद्र कुमार वर्मा
सहायक प्राध्यापक
मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज

प्रकाशक

डॉ. वी. पी. सैनी
आधिष्ठाता
मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज
(बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय)

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें

मत्स्य प्रसार विभाग
मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज
आर्राबरी, किशनगंज-855107 (बिहार)
फोन नंबर -06459231375

डिजाइन
तुषार कुमार
फोटोग्राफर, मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज

बिहार सरकार की मात्स्यिकी विकास योजनाएँ

मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज
(बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय)

परिचय

बिहार सरकार द्वारा अनेकों ऐसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो लोगों को मछली पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने में मददगार साबित हो रही हैं साथ ही साथ बिहार राज्य में मछली उत्पादन को भी बढ़ा रही हैं। किसानों को वैज्ञानिक विधि से मछली पालन की जानकारी देने और लोगों को मछली पालन को व्यवसाय के रूप मे अपनाने के लिए बिहार सरकार कई प्रशिक्षण और अनुदान संबंधित योजनाएं चला रही है। इनमे प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना, आत्म निर्भर बिहार (सात निश्चय योजना) आदि बहुत सी योजनाएं शामिल हैं। इस लेख में इन्ही योजनाओं के बारे मे विस्तार से जानकारी दी गयी है।

प्रशिक्षण संबंधी योजना

बिहार राज्य के अंदर मुख्यतः बामेति पटना, मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र मिठापुर, दीप नारायण सिंह सहकारी प्रबंध संस्थान, शास्त्री नगर पटना, आई सी ए आर, पटना, मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज आदि शामिल हैं।

बिहार राज्य से बाहर प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान का उपकेंद्र, काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश), केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान का उपकेंद्र, साल्टलेक, कोलकाता केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान का उपकेंद्र, पावरखेड़ा (मध्य प्रदेश), केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकाता, मात्स्यिकी महाविद्यालय , पंतनगर, उत्तराखंड, केन्द्रीय मिठाजल जीवपालन अनुसंधान संस्थान कौशल्यागंज ,ओडिसा शामिल हैं।

प्रतीक्षार्थियों का चयन

मत्स्य पालन प्रशिक्षण के लिए सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह व्यक्ति मत्स्य पालन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। किसी भी जिला में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में ऐसे लोगों को वरीयता दी जाती है जो मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओ के अंतर्गत बैंक से ऋण लिए हों, या मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सक्रिय सदस्य हों, अथवा पट्टे पर सरकारी तालाब मे मत्स्य पालन कर रहे हों।

मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना

इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः चार (1) तालाब मात्स्यिकी हेतु उन्नत इनपुट योजना, (2) मत्स्य बीज हैचरी जीर्णोद्धार एवं उन्नयन योजना, (3) उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन योजना, (4) तालाब मात्स्यिकी हेतु यांत्रिक एरेटर और ट्यूबवेल तथा पम्पसेट अधिष्ठापन योजना अवयव रखे गए हैं । इस योजना के अंतर्गत सामान्य जाति के आवेदकों को 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अति पिछड़ी जाति के आवेदकों को 70% का अनुदान दिया जाता है।

आत्म निर्भर बिहार (सात निश्चय योजना)

इस योजना के अंदर चार अवयवों को रखा गया है। ये अवयव है (1) मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, (2) समग्र अलंकारी मात्स्यिकी योजना, (3) बायोफ्लाक एवं आर ए एस (RAS) आधारित तकनीकी से मत्स्य पालन की योजना और (4) खुले जलस्रोत में पेन आधारित मत्स्य पालन की योजना।

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम 4 हेक्टेयर और अधिकतम 10 हेक्टेयर जलक्षेत्र के लिए योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य जाति को 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अति पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को 70% अनुदान देय है। इस योजना के लिए इकाई लागत रुपए 8.70 लाख प्रति हेक्टेयर रखी गई है और अधिकतम अनुदार राशि रुपए 6.09 लाख है जो सरकार वहन करती है शेष राशि चयनित लाभूक द्वारा वहन किया जाता है ।

थोक अलंकारी मत्स्य संवर्धन एवं विपणन योजना

यह योजना अलंकारी मछलियों के पालन और उनकी बिक्री के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य जाति को 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अति पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को 70% अनुदान मिलता है। इस योजना के लिए किसान को 2800 वर्ग फिट जमीन पर अलंकारी मछली पालन और विपणन के लिए रुपए 12.26 लाख की लागत आती है और इस योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुदान राशि रुपए 8.582 लाख है जो सरकार वहन करती है शेष राशि चयनित लाभूक द्वारा वहन किया जाता है।

बायोफ्लाक एवं आर ए एस (RAS) आधारित तकनीकी से मत्स्य पालन की योजना

इस योजना के अंदर 2 (लघु आर ए एस अधिष्ठापन की योजना और लघु बायोफ्लाक अधिष्ठापन की योजना) घटक है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बायोफ्लाक और रैस प्रणाली की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में सरकार से सहायता मिलती है।

लघु आर ए एस अधिष्ठापन की योजना

इस योजना के अंतर्गत 3000 वर्ग फिट जमीन पर आर ए एस प्रणाली की स्थापना के लिए 7.5 लाख रुपए व्यय आता है जिसमें से सामान्य जाति को 40% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अति पिछड़ी जाति को 60% अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है, किन्तु किसी भी दशा में यह अनुदान रुपए 5.25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है।

लघु बायोफ्लाक का अधिष्ठापन की योजना

इस योजना के अंतर्गत 5000 वर्ग फिट जमीन पर बायोफ्लाक प्रणाली की स्थापना के लिए 7.5 लाख रुपए व्यय आता है जिसमें से सामान्य जाति को 40% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अति पिछड़ी जातिको 60% अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है, किन्तु किसी भी दशा में यह अनुदान रुपए 5.25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है।

पेन अधिष्ठापन योजना

जो किसान खुले जलस्त्रोत में पेन लगाकर मछली पालन करते है यह योजना उनके लिए है। इस योजना मे सभी जाति के लाभूकों को 75% अनुदान देय होता है। पेन लगाने के लिए 3-5 एकड़ जलक्षेत्र मे पेन अधिष्ठापन हेतु रुपए 10.50 लाख खर्च पर अधिकतम रुपए 7.87 लाख अनुदान राशि सरकार द्वारा और शेष राशि रुपए 2.63 लाख लाभूक द्वारा वहन किया जाता है।